न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(अरूण कुमार हसीजा,आई0ए0एस0,जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रसद संख्याः 03/2021

दायर दिनांकः 22.09.2021

निर्णय दिनांक 12.08.2025

—:अनवान:—

राज्य सरकार जरिये, निशा सहारण, उपखण्ड अधिकारी आमेट जिला राजसमन्द
— **प्रार्थी**

—:: बनाम ::—

श्री धर्माराम पिता शंकरराम मेघवाल निवासी हीरा देसर, थाना भोपालगढ़, जिला जोधपुर (वाहन चालक)
— **अप्रार्थी**

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत बारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 जन्तशुदा अवैध तरल पदार्थ 1710 लीटर अवैध रूप से संग्रहित एवं परिवहन किये जाने से जब्त सरकार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारी ए के अन्तर्गत राजसात करने बाबत।</u>

उपस्थितः—

1— श्री अनिल बागोरा, राजकिय अधिवक्ता, अधिवक्ता प्रार्थी
2— श्री ललित साहू, अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 28.08.2021 को गश्त के दौरान मुखबीर खास ने बताया कि सरदारगढ़ से जेतपुरा जाने वाले रोड पर एक वाहन टेलर नम्बर GJ12 BW 9598 खड़ा है जिसके पीछे ट्रोले में 9 प्लास्टिक के ड्रम रखे हैं, ट्रोले से डीजल रीस रहा है। जिस पर मन एसएचओ प्रेमसिंह मय जाब्ता उपरोक्त के मुखबीर के बताये स्थान पर पहुंचा तो वहां उपरोक्तानुसार टेलर नम्बर GJ12 BW 9598 मय 9 प्लास्टिक के ड्रमों के खडा पाया गया। ट्रेलर में ड्राईवर सीट पर एक शख्स बैठा नजर आया। जिसको नाम पत्ता पूछते हुए ड्रमों में भरे पदार्थ बाबत पूछा तो अपना नाम धर्माराम पिता शंकरराम जाति मेघवाल उम्र 43 वर्ष निवासी हीरा देसर थाना भोपालगढ़ जिला जोधपुर बताते हुए ड्रमों में बायो डीजल होना बताया। ड्रमो में भरे बायो डीजल को अपने अधिकार में रखकर परिवहन करने बाबत ट्रेलर चालक श्री धर्माराम से

अधिकार पत्र मांगा तो नही होना बताया। मौके के हालात से मामला आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एवं राजस्थान जैव इंधन अधिनियम 2019 का होने एवं उक्त सम्बन्ध में मन एसएचओं को कार्यवाही की अधिकारिता नहीं होने से ट्रेलर को मय चालक व टेलर में भरे ड्रमों सहित थाना आमेट पर लाया गया। उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही हेतु मैं, स्वयं थाना आमेट पर उपस्थित हुई। थाना आमेट में जब्तशुदा वाहन ट्रेलर नम्बर GJ12 BW 9598 को चैक किया तो पीछे ट्रोले में रखे कुल प्लास्टिक के 9 (नौ) ड्रमों में तरल पदार्थ भरा हुआ पाया। सभी ड्रमों में भरे तरल पदार्थ को रूबरु मौतबीरान के देखा व सुंघकर जांच की तो सभी ड्रमों में मटमेले लाल रंग का पेट्रो पदार्थ की गंध जैसा तरल भरा पाया गया। उक्त टेलर के चालक से ट्रोले में रखे प्लास्टिक के ड्रमों में तरल पदार्थ के बारे में पूछा गया तो उनके द्वारा बायो डीजल होना बताया। वाहन चालक धर्माराम मेघवाल से उक्त पदार्थ (बायो बीजल) के क्रम में दस्तावेज यथा बिल बिल्टी, चालान एवं एप वैध अनुज्ञापत्र के बारे में पूछा तो कोई वैध दस्तावेज नही बताया गया। उक्त 9 ड्रमो में भरे तरल पदार्थ अनुमानित पेट्रोलियम या बायो डीजल की वास्तविक मात्रा का सत्यापन विधिक माप संग्रहित पदार्थ की डेन्सिटी थर्मामीटर एवं हाईड्रोमीटर जार में करवाने हेतु सम्पत ऑटो मोबाईल्स पट्रोल पम्प के कर्मचारी श्री रोशनलाल गुर्जर को तलब कर करवायी गई तो बायोडीजल की डेन्सिटी 855. 5 पाई गयी जो कि पेट्रोलियम पदार्थ डीजल की डेन्सिटी के समान है। उक्त पदार्थ(बायो डीजल) के एक–एक लीटर बायो डीजल का 03 सेम्पल एल्युमिनियम की बोतल में लेकर कर वायर से सील कर प्लास्टिक सील लगाकर एल्युमिनियम की बोतल को वूडन बॉक्स में डालकर वूडन बॉक्स पर सील लगाई गयी। एक सेम्पल ट्रेलर चालक को तथा दो सेम्पल अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय स्टोर में जमा कराये गये। मौके पर वाहन चालक ट्रेलर संख्या GJ12 BW 9598 से ट्रेलर में रखे 09 ड्रमों में संग्रहित कुल 1710 लीटर तरल पदार्थ (बायो डीजल) के क्रम में वैध दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने एवं संतोषप्रद जवाब नहीं देने से उक्त सामान को जरिये फर्द मौके पर जब्त किया जाकर थानाधिकारी, पुलिस थाना, आमेट को सुपुर्दगी में दिया जाकर थाना के मालखाने में में रखवाया गया है। इस प्रकार वाहन चालक धर्माराम मेघवाल का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु पृथक से पुलिस थाना आमेट में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवा दी गई है। अंतः श्रीमान से निवेदन है कि 09 ड्रमों में संग्रहित 1710 लीटर तरल पदार्थ (बायो डीजल) को राजसात करते की कृपा करें। चूंकि उक्त सामग्री शीघ्र ज्वलनशील वस्तु है, अतः धाराए(2) आवस्तु अधिनियम 1955 के तहत उक्त तरल पदार्थ का अन्तरिम निस्तारण (नष्ट) करने के आदेश प्रदान कराने की कृपया करावे।

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस सूचना दी गई। अप्रार्थी की ओर अधिवक्ता श्री ललित साहू द्वारा वकालतनाम प्रस्तुत कर उपस्थिति दी गई।

वाहन स्वामी सीताराम पुत्र नाथाराम जाट जरिये अधिकार पत्र धारक ओमाराम भींयाराम विश्नोई निवासी जूगुओ की बास लाम्बा बिलाड़ा जिला जोधपुर द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 285 भा.द.स. प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 451–457 दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत वाहन छुड़ाने हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसके क्रम में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2021 को प्रार्थी ओमाराम भींयाराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए दिनांक 16.11.2021 को वाहन को छोड़ा गया।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह कथन किया कि अप्रार्थी के ट्रेलर में रखे 09 ड्रमों में संग्रहित कुल 1710 लीटर तरल पदार्थ (बायो डीजल) जब्त किया गया। तथा अप्रार्थी द्वारा वैध दस्तावेज मांगने पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया एवं कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया। अतः अप्रार्थी से जब्त तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने के आदेश प्रदान कराना फरमावे। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा उक्त तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किये जाने पर किसी प्रकार की कोई आपत्ती जाहिर नही की हैं।

उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर गहन मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया तथा मामले में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व थानाधिकारी आमेट की फर्द मौका व जब्ती रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी से सरदारगढ़ से जेतपुरा जाने वाली रोड़ पर वाहन ट्रेलर में 9 प्लास्टिक के ड्रमो तरल पैट्रोलियम पदार्थ भरा था। उक्त 9 ड्रमों में भरे तरल पदार्थ अनुमानित पेट्रोलियम या बायो डीजल की वास्तविक मात्रा कुल 1710 लीटर था। मौके पर वक्त जांच उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के परिवहन के बारे में अप्रार्थी से जांच दल द्वारा वैध लाईसेंस व दस्तावेज उपलब्ध करवाने हेतु कहा गया किन्तु न तो उसके द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब दिया गया और न ही मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ के संग्रहण के संबंध में कोई वैध अनुज्ञापत्र आदि उपलब्ध कराया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी की ओर से भी अपने पक्ष के समर्थन में ऐसे कोई अकाट्य तर्क व प्रमाण

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

पेश नहीं किये गये हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्टया अप्रार्थी द्वारा उक्त मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का अवैध रूप से उपयोग किया जाना पाया जाता हैं। अतः उक्त विवेचन के आधार पर उक्त मामले में अप्रार्थी से जब्तशुदा ड्रमों में संग्रहित कुल 1710 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ को राजसात किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

:: आदेश ::

अतः उपरोक्त विवेचनान्तर्गत प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी से जब्तशुदा 1710 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ मय 09 ड्रमो को राजसात किया जाता है। जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को निर्देशित किया जाता है कि अप्रार्थी से जब्तशुदा 1710 लीटर तरल मिलावटी पेट्रोलियम पदार्थ का नियमानुसार निस्तारण कर राशि राज्यमद में जमा करावे। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी राजसमन्द को भिजवायी जावे।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 12.08.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरूण कुमार हसीजा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर
राजसमन्द (राज.)